भारत सरकार

विद्युत मंत्रालय

....

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-951

दिनांक 27 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

हाईटेंशन विद्युत खंभों/तारों के गिरने की घटनाएं

951# श्री नीरज डांगी:

क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत दो वर्षों के दौरान बिजली के खंभे गिरने या कहीं हाईटेंशन लाइनों के तार टूटने के संबंध में प्राप्त शिकायतों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रकार की घटनाओं से मनुष्य और जानवरों की मौतों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस प्रकार की घटनाओं का होना अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है, यदि हां, तो अधिकारियों पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बिजली लाइनों की नियमित जांच के संबंध में उठाये गए सख्त कदम क्या-क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री
(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (घ) : केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत आपूर्ति और सुरक्षा से संबंधित उपाय) विनियम, 2023, विद्युत स्टेशनों, सबस्टेशनों, पारेषण एवं वितरण लाइनों के निर्माण, प्रचालन एवं रखरखाव से संबंधित सुरक्षा उपायों को विनिर्दिष्ट करते हैं। इन विनियमों में विद्युत संस्थापनाओं के लिए सुरक्षा उपायों का निर्धारण करते हैं तथा विद्युत संस्थापनाओं के आवधिक निरीक्षण एवं परीक्षण का प्रावधान करते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाइनों के निर्माण के लिये तकनीकी मानक) विनियम, 2022, में आपदा-प्रवण क्षेत्रों तथा तटीय क्षेत्रों में गंभीर पर्यावरणीय दबाव को सहन करने हेतु खंभों एवं तारों को सुदृढ़ करने संबंधी विशिष्ट प्रावधान शामिल हैं। उपर्युक्त विनियम विद्युत का उत्पादन, पारेषण अथवा वितरण करने वाली सभी संस्थाओं पर लागू होते हैं।

विद्युत दुर्घटना आंकड़ा प्रबंधन प्रणाली (ईएडीएमएस) पोर्टल जिसका संधारण केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा किया जाता है, पर संबंधित राज्यों के मुख्य विद्युत निरीक्षकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, विद्युत चालकों के टूटने के कारण हुई कुल मृत्यु की राज्यवार संख्या का विवरण **अनुबंध** पर है।

इसके अतिरिक्त, विद्युत एक समवर्ती विषय है तथा विद्युत वितरण का कार्य वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है, जो अपने-अपने राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसईआरसी) तथा राज्य सरकारों के मार्गदर्शन में कार्य करती हैं। विद्युत अधिनियम, 2003 के अनुसार, विद्युत का वितरण एक लाइसेंसी गतिविधि है तथा संबंधित वितरण लाइसेंसधारक का यह दायित्व है कि वह अपने आपूर्ति क्षेत्र में एक कुशल एवं सुरक्षित वितरण प्रणाली का विकास एवं अनुरक्षण करे। अतः इस संबंध में प्राप्त शिकायतों पर कार्रवाई करने सहित गुणवत्तापूर्ण एवं विश्वसनीय विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु वितरण प्रणाली के उन्नयन एवं अनुरक्षण तथा हाई टेंशन (एचटी) एवं लो टेंशन (एलटी) लाइनों के खंभों एवं तारों की संरचनात्मक मजबूती की नियमित जांच के लिए आवश्यक उपाय करने की जिम्मेदारी संबंधित वितरण यूटिलिटी की है।

रा.स.अतारां.प्र.सं. 951

अनुबंध

चालकों के टूटने के कारण विद्युत दुर्घटनाओं में होने वाली मृत्यु की संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2024-2025		2025-2026	
	मानव मृत्यु	पशु मृत्यु	मानव मृत्यु	पशु मृत्यु
आंध्र प्रदेश	39	111	159	0
अरुणाचल प्रदेश	0	1	0	1
असम	17	27	18	44
बिहार	0	0	0	0
छत्तीसगढ	20	110	0	0
गोवा	0	0	0	5
गुजरात	17	182	21	169
हरियाणा	1	0	8	1
हिमाचल प्रदेश	1	0	0	0
झारखंड	7	19	16	31
कर्नाटक	64	187	59	197
केरल	12	35	21	13
मध्य प्रदेश	37	80	46	67
महाराष्ट्र	72	637	103	954
मणिपुर	1	0	2	0
मेघालय	2	0	0	0
मिजोरम	1	0	1	0
नागालैंड	0	0	0	0
ओडिशा	4	1	4	17
पंजाब	1	0	0	0
राजस्थान	0	0	2	0
सिक्किम	0	0	0	0
तमिलनाडु	33	140	34	113
तेलंगाना	2	28	1	11
त्रिपुरा	5	12	0	12
उत्तर प्रदेश	216	307	163	102
उत्तराखंड	1	4	4	21
पश्चिम बंगाल	9	14	6	11
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0
चंडीगढ़	0	0	एनआर	एनआर
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	1	0	0	1
दिल्ली (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली)	1	0	3	0
जम्मू और कश्मीर	2	2	12	12
लद्दाख	0	0	0	0
लक्षद्वीप	0	0	0	0
पुडुचेरी	0	2	0	0
कुल	566	1899	683	1782

एनआर- राज्य/संघ राज्य क्षेत्र से प्राप्त नहीं हुआ

****